भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4054

24 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियां

4054. श्री घनश्याम सिंह लोधीः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा क्षेत्र में शामिल निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नियम और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त कंपनियों के शामिल होने से सुरक्षा को कोई खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कंपनियों से रक्षा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले संभावित लाभ क्या हैं;

(घ) उक्त कंपनियों से खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित मदें क्या हैं और उक्त कंपनियों का प्रति वर्ष भागीदारी का हिस्सा कितना है; और

(ङ) क्या वहां कार्यरत कर्मचारियों के सत्यापन का रिकार्ड सरकार द्वारा रखा जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (ङ):रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र की शत-प्रतिशत भागीदारी के लिए मई, 2001 में खोला गया था । रक्षा क्षेत्र के खोले जाने से आज की तारीख तक रक्षा क्षेत्र में संचालित 368 कंपनियों को कुल 601 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं । रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आई (डीएंडआर) अधिनियम, 1951 एवं शस्त्र अधिनियम, 1959/शस्त्र नियमावली 2016 तथा गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959/शस्त्र नियमावली 2016 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं ।

सरकार ने लाइसेंस प्राप्त रक्षा कंपनियों के लिए एक सुरक्षा नियमावली तैयार की है । लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिएसुरक्षा संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य

है । इस नियमावली में भौतिक सुरक्षा/सामग्री सुरक्षा/दस्तावेज सुरक्षा/सूचना सुरक्षा/साइबर सुरक्षा इत्यादि के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं । लाइसेंस प्राप्त भारतीय रक्षा कंपनियों (आईएलडीसी) के लिए सुरक्षा नियमावली की शर्तों के अनुसार सभी आईएलडीसी द्वारा प्रबंधन के सभी स्तरों सहित कार्यभार ग्रहण करने से पहले सभी व्यक्तियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का संपूर्ण सत्यापन तथा नियोजित विभिन्न कार्मिकों की आवधिक सुरक्षा जांच करना अपेक्षित होता है ।

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के परिणामस्वरूप स्वदेशीकरण के स्तरों में वृद्धि, स्थानीय विनिर्माण, एमएसएमई और स्टार्ट अप्स की बढ़ोतरी, रक्षा उत्पादन मूल्य, रक्षा निर्यात और आयात प्रतिस्थापन होगा । इसके अलावा, सेनाओं द्वारा रक्षा मदों की अधिप्राप्ति देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है । तथापि, वर्ष 2022-23 में कुल पूंजीगत अधिप्राप्ति बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योगों से अधिप्राप्ति के लिए चिन्हित किया गया है ।

****